

राजस्थान सरकार  
शिक्षा-विभाग

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ24 ) अकाद/आकाशि/19/451

दिनांक 15-11-2019

प्राचार्य  
समस्त राजकीय/ निजी महाविद्यालय  
राजस्थान

विषय :- सभी शैक्षणिक संस्थाओं में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रायः देखा गया है कि राजस्थान के अधिकतर राजकीय/निजी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश एवं निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती है जिसके कारण विषम परिस्थितियों में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

अतः प्राचार्य समस्त राजकीय /निजी महाविद्यालय राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि अपनी संस्थान में विद्यार्थियों के प्रवेश एवं निकास तथा सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाना सुनिश्चित कराये।



प्रदीप कुमार बोरड, IAS  
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ24 ) अकाद/आकाशि/19/451

दिनांक 15-11-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. प्रभारी अधिकारी, कॉलेज समूह राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को लेख है कि अपने सम्बन्धित महाविद्यालय से सम्पर्क कर इस आदेश की क्रियान्विती सुनिश्चित करे।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।



संयुक्त निदेशक, अकादमिक